

अनुलग्नक-।

प्रपत्र-'क'

किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन
(व्यक्तिगत किसान के लिए)

आवेदक	
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)	
पिता / पति का नाम	
उम्र	
लिंग	
जिला	
प्रखण्ड	
पंचायत	
ग्राम	
जाति	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / सामान्य
कुल रकबा (एकड़ में)	

पासपोर्ट साईज
फोटो

जमीन का विवरण

क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल

फसल का विवरण

क्रम संख्या	फसल का नाम	रकबा	उपज

सिंचाई जल स्रोत नदी/तालाब/डोभा/कुंआ

आधार संख्या

मोबाइल नंबर

मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूं। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूं। मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा / करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा / रही हूं। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा / रही हूं।

संलग्नक:

1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी
2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी
3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी
4. वंशावली / शपथ पत्र की फोटो कॉपी
5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा)

अनुमोदित

आवेदक का हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर
Mob. No.—
दिनांक—

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

कलणि समस्ति योजना

कृषक समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र (समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

5									
6									
7									
8									
9									
10									

कुल रकम

समूह द्वारा खेती का विवरण

क्रम संख्या	फसल का नाम	तालाब	ठोंभा /कुआं
सिचाई जल स्रोत	नदी		

घोषणा / सहमति

इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्क्रॉ (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी श्रोत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की ओर से समूह के अध्यक्ष e-KYC कराएंगे।

संलग्नक :-

- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद

अनुमोदित

- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर

मोबाइल नंबर:
दिनांक-

जोट- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

5
6
7
8
9
10

कुल रकमा

संस्था द्वारा खेती का विवरण :

क्रम संखा	फसल का नाम	रकमा (एकड़ में)

सिंचाई जल छोत	नदी	तालाब	डोभा/लुआं

घोषणा/सहमति

यह संस्था के घोषणा करती है कि योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार संस्था पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। संस्था योजना का लाभ लेने के लिए संस्था द्वारा एस्क्रॉ (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस तरह की योजना का लाभ किसी भी खोत से नहीं लिया गया है और ना ही आवेदन में दिए गए सदस्यों के पास या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। संस्था के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों की ओर से अधिकृत पदाधिकारी e-KYC कराएं।

संलग्नक:

1. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है)

का आधार कार्ड का फोटो कॉपी

2. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी

3. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद

4. संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी

5. GST/PAN/TAN की फोटो कॉपी

संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्क भरे। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर
मोबाइल नंबर:
दिनांक—

अनुलङ्घक-IV

प्रपत्र-‘घ’

किसान समृद्धि योजना

Verification report of installed unit by PD ATMA